(9)

पत्रांक-बजट-36-मु0व्य0दु0बी0यो0/ / (बाधित अवधि)/ 1569 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0
(बजट अनुभाग)
लखनऊ // दिनॉक // 11/3 2019

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,
वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियो के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना बाधित अवधि (दि0 15-06-2018 से वर्तमान) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-बजट-36-मु0व्य0दु0बी0यो0/ (बाधित अवधि)/ 1327 / वाणिज्य कर, दिनांक 30-01-2019 एवं पत्र संख्या-1433 दिनांक 14-02-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-**क0नि0-4-1312/11-2017/ 400(94)/2000टी0सी0 दिनांक 28-12-18** के क्रम में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की बाधित अवधि (दिनांक 15-06-2018 से वर्तमान) से सम्बन्धित प्रकरणों में कमेटी बनाकर, कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 18-02-2019 तक मुख्यालय प्रेषित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे, परन्तु आपके के स्तर से अभी तक बहुत ही कम प्रकरण संस्तुति सहित मुख्यालय प्रेषित किये गये है, जो किसी भी दशा में उचित नही है।

अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि अब तक प्राप्त बीमा दावों को उपरोक्तानुसार परीक्षण कर यथाशीघ्र मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् बजट आवंटन किया जा सके। उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता कदापि न बरती जाए।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

D.C. (T) 12-3-19
4387

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।
2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ की आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ खण्डाधिकारियों एवं लेखापरीक्षकों को भी उक्त से सूचित करने का कष्ट करें।
3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु।
4- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम, कमिश्नर कैम्प, मुख्यालय को कमिश्नर, महोदया के अवलोकनार्थ।
5- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।